# राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.18(13)नविवि/जयपुर/2016 जयपुर, दिनांक : **18.10.2017**

### अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 338, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 75, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 96, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 92 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 92 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा एकीकृत भवन विनियम–2017 लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। एकीकृत भवन विनियम–2017 राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

इन विनियमों के प्रवृत होने की तिथि से किसी भी नगरीय निकाय द्वारा पूर्व में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र भवन विनियम प्रत्याहारित समझे जावेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

18/10/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
**संयुक्त शासन सचिव–प्रथम**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, रीको, उद्योग भवन, जयपुर।
6. निदेशक , स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सभी स्थानीय निकायों को उक्त विनियमों के अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का श्रम करे। ।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर मय सी.डी. भेजकर लेख है कि कृपया इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
11. सलाहकार (नगर नियोजन), नगरीय विकास विभाग।
12. सलाहकार (विधि), नगरीय विकास विभाग।
13. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त ............................।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

18/10/17

**संयुक्त शासन सचिव–प्रथम**